"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी 2018 — फाल्गुन 5, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-13/2017/1-7. — जिला दुर्ग, विकासखण्ड धमधा, ग्राम राजपुर के शगुन गौशाला में दिनांक 16-08-2017 को तथा जिला बेमेतरा, विकासखण्ड साजा, ग्राम गोडमर्रा के फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो के मयूरी गौशाला में दिनांक 18-08-2017 को पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-08-2017 द्वारा माननीय श्री ए. के. सामन्त रे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-11-2017 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयावृद्धि की गई है, जो दिनांक 25-02-2018 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 26-02-2018 से दिनांक 25-05-2018 तक 03 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.